संख्या- 278 / 2023 /2096 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2023

विषय:- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से कार्मिकों की सेवाओं हेतु 02- मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 579/उ0प्र0सं0नि0- 5(139)/2022-23, दिनांक 11 अगस्त, 2023, पत्र संख्या- 342/ उ0प्र0सं0नि0- 2(96)/2023-24, दिनांक 26 जून, 2023 एवं पत्र सं0- 153/उ0प्र0सं0नि0- 5(139)/2022-23, दिनांक 12 मई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से कार्मिकों की सेवाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय - 02 मजदूरी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 331.82 लाख (रू0 तीन करोड़ इकतीस लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- बचत की धनराशि संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय -03-अधिष्ठान व्यय - 01- वेतन मद, 03- महंगाई भत्ता मद तथा 09- विद्युत देय मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय -03- अधिष्ठान व्यय -02- मजदूरी मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 278 /2023 / 2096 (1)/चार-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-2096-Char-2023-Museum Sainik

विषय:- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से कार्मिकों की सेवाओं हेतु 02-मजदूरी मद में पुनर्विनियोग ।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	09 (विद्युत देय)	1,76,00,000 रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र	31,82,000 रुपये इकतीस लाख बयासी हजार मात्र	31,82,000 रुपये इकतीस लाख बयासी हजार मात्र	31,82,000 रुपये इकतीस लाख बयासी हजार मात्र	1,44,18,000 रुपये एक करोड़ चवालीस लाख अठारह हजार मात्र	2023-2024
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	03 (मंहगाई भत्ता)	4,98,89,000 रुपये चार करोड़ अट्ठानबे लाख नवासी हजार मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	3,98,89,000 रुपये तीन करोड़ अट्ठानबे लाख नवासी हजार मात्र	2023-2024
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	01 (वेतन)	11,08,64,000 रुपये ग्यारह करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार मात्र	2,67,60,160 रुपये दो करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार एक सौ साठ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	9,08,64,000 रुपये नौ करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 3,31,82,000	₹ 3,31,82,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001070300 (अधिष्ठान व्यय)	02 (मजदूरी)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	3,31,82,000 रुपये तीन करोड़ इकतीस लाख बयासी हजार मात्र	3,31,82,000 रुपये तीन करोड़ इकतीस लाख बयासी हजार मात्र	3,51,82,000 रुपये तीन करोड़ इक्यावन लाख बयासी हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 3,31,82,000	₹ 3,31,82,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
संख्या:RE-budget-1-82-E-7-53-X-2023-24-दिनांक:15-09-2023

सेवा में,
निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुं0 मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 278 /2023 / 2096 (1)/चार-2023 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।